UPBS120002662022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 214/2022

चन्द्रिका बनाम हजारीलाल आदि

<u>09.05.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 9ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 10ग1, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 11ग1 दाखिल किया गया है। खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकार सहखातेदार हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक–23.05.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2</u>

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8ग2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।